

कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति भोपाल

क्रमांक/एम.सी./अराज/5/2025

भोपाल, दिनांक/07/2025

// आदेश //

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल द्वारा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल एवं संबंधित चिकित्सालय क्षेत्रिय श्वसन रोग संस्थान (RIRD) भोपाल के रिक्त पदों- ओटी अटेंडेंट एवं लैब अटेंडेंट हेतु जारी सह चिकित्सकीय संवर्ग की प्राप्त अनुमोदित अनुसूची में स्वीकृत रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कार्यालय द्वारा कर्मचारी चयन मण्डल, (ईएसबी) भोपाल को भेजे गये मांग पत्र/प्रस्ताव तथा कर्मचारी चयन मण्डल (ईएसबी) की 'समूह-5 के अंतर्गत नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडीकल स्टाफ व अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा-2024' के विज्ञापन के संदर्भ में अनुसूचित जनजाति (सहरिया, बैगा एवं भारिया) समुदाय के अभ्यर्थियों के कार्यालय में सीधे प्राप्त ऑफलाईन आवेदनों एवं कर्मचारी चयन मण्डल, (ईएसबी) भोपाल के पत्र क्रं. /MPESB/02-12/2024/5/प-1/457/2025 भोपाल दिनांक 20.01.2025 के परिप्रेक्ष्य में कार्यालय की गठित स्कूटनी समिति द्वारा उक्त रिक्त पदों में अनुसूचित जनजाति (सहरिया, बैगा एवं भारिया) समुदाय के योग्य आवेदकों के दस्तावेज सत्यापन एवं स्कूटनी हेतु दिनांक 10.03.2025 को आमंत्रित किया गया था।

उपरोक्तानुसार गठित स्कूटनी समिति की अंतिम रिपोर्ट के अनुक्रम में संस्था द्वारा जारी पात्र अभ्यर्थियों की चयन/प्रतिक्षारत सूची में दर्शित अनुसूचित जनजाति (सहरिया, बैगा एवं भारिया) श्रेणी के चयनित अभ्यर्थियों को गांधी चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबंधित चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी नियुक्ति प्रदान कर इनकी पदस्थापना क्षेत्रिय श्वसन रोग संस्थान (RIRD) भोपाल में की जाती है। नियुक्ति की सेवा शर्तों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रं.	अभ्यर्थी का नाम	चयनित पदनाम/श्रेणी	पता	वेतनमान
1	भगवानदीन बैगा पुत्र श्री मुन्ना बैगा	ओ.टी. अटेंडेंट (अनुसूचित जनजाति)	ग्राम जमुडी, तहसील जयसिंहनगर जिला शहडोल	16100-50900 (मेट्रिक्स लेवल-2 इण्डेक्स-1)
2	अशोक कुमार भारती पुत्र श्री शेखर चंद भारती	लैब अटेंडेंट (अनुसूचित जनजाति)	म.न.1759 नूरी नगरअजीज गंज पसियाना लाल बहादूर शास्त्री वार्ड जबलपुर	15500-49000 (मेट्रिक्स लेवल-1 इण्डेक्स-1)
3	दशरथ खमरिया पुत्र श्री पुनू खमरिया	लैब अटेंडेंट (अनुसूचित जनजाति)	ग्राम घाना कौडिया तहसील तामिया जिला छिन्दवाड़ा	15500-49000 (मेट्रिक्स लेवल-1 इण्डेक्स-1)

नियुक्ति की शर्तें:-

- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, यह मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय आदर्श सेवा नियम 2018 के तहत इस स्वशासी संस्था के सेवा शर्तों के अधीन होगी। संस्था नियुक्ति की सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी।
- उक्त नियुक्ति प्रथम 03 माह के लिए निश्चित पारिश्रमिक रुपये 10,000/- प्रतिमाह पर की जाती है।
- तीन माह पश्चात सह चिकित्सकीय संवर्ग के पदों की कार्य मूल्यांकन एवं कार्य संतोषजनक होने के पश्चात् मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक सी.3-13/2019 / 3 / एक भोपाल दिनांक 12-12-2019 के बिन्दु (अ) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम 1961 के नियम 8 (1) के तहत सीधी भर्ती के पद पर प्रथमतः तीन वर्ष की परीक्षा अवधि पर रखा जाता है।
- यह नियुक्ति इस सशर्त पर प्रदान की जाती है, कि यदि चयनित कर्मचारी के संबंध में कोई त्रुटि/कमी पाई गई तो यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही समाप्त समझा जावेगा।
- सह चिकित्सकीय स्टाफ को न्यूनतम 03 वर्ष की सेवाएं देने हेतु कार्यभार ग्रहण के साथ सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र (500/- रुपये के स्टाम्प पर बॉण्ड) निष्पादित करना होगा। सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र में निहित शर्तों का पालन न करने पर उसे 01 वर्ष के वेतन/मानदेय के बराबर की राशि इस चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी संस्था, भोपाल (म.प्र.) में चुकानी होगी। यह देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया राशि की भांति वसूली योग्य होगी।

निरंतर.....पेज 2 पर

6. चयनित प्रत्याशी को नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर (शासकीय कार्य दिवस में) कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव समाप्त हो जायेगा। कार्यभार ग्रहण हेतु किसी प्रकार के मार्ग व्यय/यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
7. चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होकर स्वयं के व्यय पर स्वास्थ्य का परीक्षण कराना होगा एवं परीक्षण संबंधी उपयुक्तता प्रमाण-पत्र की प्रमाणित मूल प्रतिलिपि प्रस्तुत करने एवं उपयुक्त पाये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण मान्य किया जावेगा।
8. चिकित्सा महाविद्यालय के संविलियन एवं संवर्धन नियमों के अंतर्गत स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों में स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति की पात्रता शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के परिपालन में होगी।
9. चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करते समय उपस्थित प्रतिवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां एवं एक-एक छायाप्रतियां (स्वयं सत्यापित) परीक्षण हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. एफ-7-2/96 /आप्र/1 दि 1/08/96 के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश का स्थाई डिजिटल जाति प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में ही दिया जाना अनिवार्य है एवं मध्यप्रदेश का स्थाई डिजिटल जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण करवाया जायेगा।
11. चयनित प्रत्याशी को 90 दिवस की सेवा संतोषजनक पूर्ण करने उपरांत ही मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय आदर्श सेवा नियम 2018 के तहत अवकाश लेने की पात्रता होगी। नियुक्ति में पेंशन, उपादान एवं तत्संबंधी अन्य किसी प्रकार के लाभ देय नहीं होंगे।
12. चयनित प्रत्याशी की सेवाएं किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ता देकर समाप्त की जा सकेगी। चयनित प्रत्याशी द्वारा यदि परीक्षा अवधि में सेवा से त्याग पत्र दिया जाता है, तो नियुक्ति शर्त क्रं. 5 अनुसार बॉण्ड की राशि जमा करना अनिवार्य होगा तथा परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने के उपरांत यदि चयनित कर्मचारी त्याग पत्र देता है तो एक माह का वेतन जमा करना अथवा एक माह पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा। भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत एक माह का वेतन तथा भत्ते के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
13. चयनित प्रत्याशी म0प्र0सिविल सेवा आचरण नियमों के अधीन शासित होंगे। संस्था के किसी भी कर्मचारी को राजनीतिक अथवा किसी भी प्रतिबंधित गतिविधियों एवं हड़ताल आदि में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी एवं संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
14. चयनित कर्मचारी को 100/- रुपये के स्टाम्प में उपस्थित प्रतिवेदन के साथ इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी एवं दस्तावेज सही है, यदि गलत पाई जाती है तो पूर्ण जवाबदारी स्वयं की होगी।
15. पुलिस सत्यापन में अयोग्य पाये जाने पर बिना किसी सूचना के सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
16. नियुक्त व्यक्ति को उपस्थिति के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा स्वीकृत त्याग-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि लागू हो तो।
17. शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशानुसार सेवा शर्तें परिवर्तित की जा सकती हैं। यह परिवर्तन वेतन संबंधी शर्तों पर भी लागू हो सकता है।
18. भविष्य में यदि कभी भी पद की अर्हता संबंधी कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है तो सेवा समाप्त की जा सकेगी।
19. चयनित उम्मीदवारों को एक वर्ष के भीतर कम्प्यूटर में Window Basic एवं Microsoft Office का ज्ञान अर्जित करना अनिवार्य है एवं कम्प्यूटर पर कार्य करने की दक्षता दर्शानी होगी।
20. इस नियुक्ति में आरक्षण के प्रावधानों का समायोजन आरक्षण रोस्टर अनुमोदन के उपरांत रोस्टर अनुसार किया जावेगा।
21. चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति के प्रथम तीन माह में किसी भी प्रकार अवकाश की पात्रता नहीं होगी एवं आकस्मिक स्थिति के दौरान बिना पूर्व स्वीकृति एवं अनुमति के अवकाश पर नहीं जा सकेगा।
22. चयनित उम्मीदवार इस संस्था के अन्तर्गत कार्य करते हुए किसी अन्य संस्था में रोजगार के लिये सीधे आवेदन नहीं दे सकेगा।
23. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) तथा मध्यप्रदेश शासन के अन्य नियम लागू होंगे।

- Scanned with OKEN Scanner

रखी/रखी-2

**कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति भोपाल**

क्रमांक...../एम.सी./अराज-5/2025

भोपाल, दिनांक/07/2025

// आदेश //

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल द्वारा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल एवं संबद्ध चिकित्सालय हेतु जारी सह चिकित्सकीय संवर्ग की प्राप्त अनुमोदित अनुसूची में स्वीकृत रिक्त डायलिसिस अटेंडेंट के पदों की पूर्ति हेतु कार्यालय द्वारा कर्मचारी चयन मण्डल, (ईएसबी) भोपाल को भेजे गये मांग पत्र/प्रस्ताव तथा कर्मचारी चयन मण्डल (ईएसबी) की 'समूह-5 के अंतर्गत नर्सिंग स्टॉफ, पैरामेडीकल स्टॉफ व अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा-2024' के विज्ञापन के संदर्भ में अनुसूचित जनजाति (सहरिया, बैगा एवं भारिया) समुदाय के अभ्यर्थियों के कार्यालय में सीधे प्राप्त ऑफलाइन आवेदनों एवं कर्मचारी चयन मण्डल, (ईएसबी) भोपाल के पत्र क्रं./MPESB/02-12/2024/5/प-1/457/2025 भोपाल दिनांक 20.01.2025 के परिप्रेक्ष्य में कार्यालय की गठित स्कूटनी समिति द्वारा उक्त रिक्त पदों में अनुसूचित जनजाति (सहरिया, बैगा एवं भारिया) समुदाय के योग्य आवेदकों के दस्तावेज सत्यापन एवं स्कूटनी हेतु दिनांक 10.03.2025 को आमंत्रित किया गया था।

उपरोक्तानुसार गठित स्कूटनी समिति की अंतिम रिपोर्ट के अनुक्रम में संस्था द्वारा जारी पात्र अभ्यर्थियों की चयन/प्रतिष्कारत सूची में दर्शित अनुसूचित जनजाति (सहरिया, बैगा एवं भारिया) श्रेणी के चयनित अभ्यर्थियों को गांधी चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी नियुक्ति प्रदान की जाती है। नियुक्ति की सेवा शर्तों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रं	अभ्यर्थी का नाम	चयनित पदनाम/श्रेणी	पता	वेतनमान
1	श्री भगवानदीन बैगा पिता श्री मुन्ना बैगा	डायलिसिस अटेंडेंट (अनुसूचित जनजाति)	ग्राम जमुडी, तहसील जयसिंहनगर जिला - शहडोल	15500-49000 (मेट्रिक्स लेवल-1 इण्डेक्स-1)

नियुक्ति की शर्त:-

- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, यह मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय आदर्श सेवा नियम 2018 के तहत इस स्वशासी संस्था के सेवा शर्तों के अधीन होगी। संस्था नियुक्ति की सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी।
- उक्त नियुक्ति प्रथम 03 माह के लिए निश्चित पारिश्रमिक रुपये 10,000/- प्रतिमाह पर की जाती है।
- तीन माह पश्चात सह चिकित्सकीय संवर्ग के पदों की कार्य मूल्यांकन एवं कार्य संतोषजनक होने के पश्चात् मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक सी.3-13/2019 / 3 / एक भोपाल दिनांक 12-12-2019 के बिन्दु (अ) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तों) नियम 1961 के नियम 8 (1) के तहत सीधी भर्ती के पद पर प्रथमतः तीन वर्ष की परीक्षा अवधि पर रखा जाता है।
- यह नियुक्ति इस सशर्त पर प्रदान की जाती है, कि यदि चयनित कर्मचारी के संबंध में कोई त्रुटि/कमी पाई गई तो यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही समाप्त समझा जावेगा।
- सह चिकित्सकीय स्टाफ को न्यूनतम 03 वर्ष की सेवाएं देने हेतु कार्यभार ग्रहण के साथ सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र (500/- रुपये के स्टाम्प पर बॉण्ड) निष्पादित करना होगा। सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र में निहित शर्तों का पालन न करने पर उसे 01 वर्ष के वेतन/मानदेय के बराबर की राशि इस चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी संस्था, भोपाल (म.प्र.) में चुकानी होगी। यह देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया राशि की भांति वसूली योग्य होगी।
- चयनित प्रत्याशी को नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर (शासकीय कार्य दिवस में) कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव समाप्त हो जायेगा। कार्यभार ग्रहण हेतु किसी प्रकार के मार्ग व्यय/यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होकर स्वयं के व्यय पर स्वास्थ्य का परीक्षण कराना होगा एवं परीक्षण संबंधी उपयुक्तता प्रमाण-पत्र की प्रमाणित मूल प्रतिलिपि प्रस्तुत करने एवं उपयुक्त पाये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण मान्य किया जावेगा।

निरंतर.....पेज 2 पर

8. चिकित्सा महाविद्यालय के संविलियन एवं संवर्धन नियमों के अंतर्गत स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों में स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति की पात्रता शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के परिपालन में होगी।
9. चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करते समय उपस्थित प्रतिवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां एवं एक-एक छायाप्रतियां (स्वयं सत्यापित) परीक्षण हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. एफ-7-2/96/आप्र/1 दि 1/08/96 के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश का स्थाई डिजिटल जाति प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में ही दिया जाना अनिवार्य है एवं मध्यप्रदेश का स्थाई डिजिटल जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण करवाया जायेगा।
11. चयनित प्रत्याशी को 90 दिवस की सेवा संतोषजनक पूर्ण करने उपरान्त ही मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय आदर्श सेवा नियम 2018 के तहत अवकाश लेने की पात्रता होगी। नियुक्ति में पेंशन, उपादान एवं तत्संबंधी अन्य किसी प्रकार के लाभ देय नहीं होंगे।
12. चयनित प्रत्याशी की सेवाएं किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ता देकर समाप्त की जा सकेगी। चयनित प्रत्याशी द्वारा यदि परीक्षा अवधि में सेवा से त्याग पत्र दिया जाता है, तो नियुक्ति शर्त क्रं. 5 अनुसार बॉण्ड की राशि जमा करना अनिवार्य होगा तथा परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने के उपरान्त यदि चयनित कर्मचारी त्याग पत्र देता है तो एक माह का वेतन जमा करना अथवा एक माह पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा। भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत एक माह का वेतन तथा भत्ते के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
13. चयनित प्रत्याशी म0प्र0सिविल सेवा आचरण नियमों के अधीन शासित होंगे। संस्था के किसी भी कर्मचारी को राजनीतिक अथवा किसी भी प्रतिबंधित गतिविधियों एवं हड़ताल आदि में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी एवं संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
14. चयनित कर्मचारी को 100/- रुपये के स्टाम्प में उपस्थित प्रतिवेदन के साथ इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी एवं दस्तावेज सही हैं, यदि गलत पाई जाती है तो पूर्ण जवाबदारी स्वयं की होगी।
15. पुलिस सत्यापन में अयोग्य पाये जाने पर बिना किसी सूचना के सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
16. नियुक्त व्यक्ति को उपस्थिति के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा स्वीकृत त्याग-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि लागू हो तो।
17. शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशानुसार सेवा शर्तें परिवर्तित की जा सकती हैं। यह परिवर्तन वेतन संबंधी शर्तों पर भी लागू हो सकता है।
18. भविष्य में यदि कभी भी पद की अर्हता संबंधी कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है तो सेवा समाप्त की जा सकेगी।
19. चयनित उम्मीदवारों को एक वर्ष के भीतर कम्प्यूटर में Window Basic एवं Microsoft Office का ज्ञान अर्जित करना अनिवार्य है एवं कम्प्यूटर पर कार्य करने की दक्षता दर्शानी होगी।
20. इस नियुक्ति में आरक्षण के प्रावधानों का समायोजन आरक्षण रोस्टर अनुमोदन के उपरान्त रोस्टर अनुसार किया जावेगा।
21. चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति के प्रथम तीन माह में किसी भी प्रकार अवकाश की पात्रता नहीं होगी एवं आकस्मिक स्थिति के दौरान बिना पूर्व स्वीकृति एवं अनुमति के अवकाश पर नहीं जा सकेगा।
22. चयनित उम्मीदवार इस संस्था के अन्तर्गत कार्य करते हुए किसी अन्य संस्था में रोजगार के लिये सीधे आवेदन नहीं दे सकेगा।
23. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) तथा मध्यप्रदेश शासन के अन्य नियम लागू होंगे।
24. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-9/3/2005/नियम/चार दिनोंक 2-4-2005 के अनुसार आप पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 लागू नहीं होंगे। मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/1/2005/नियम/चार दिनोंक 2-4-2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियम भी लागू नहीं होंगे।

25. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 6 के उप नियम (6) जिरामें प्रावधान अनुसार 26 जनवरी 2001 के बाद दो बच्चों से अधिक होने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही समाप्त माना जावेगा।
26. नियुक्ति के संबंध में किसी भी प्रकार के वाद-विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम होकर मान्य होगा।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल

पृ. क्रमांक 29101-29109/एम.सी./अराज-5/2025

भोपाल, दिनांक 23.07/2025

प्रतिलिपि -

1. अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल।
2. संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल।
3. उप पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल संभाग, भोपाल।
4. मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, जयप्रकाश चिकित्सालय, भोपाल।
5. जिला कोषालय अधिकारी, जिला भोपाल।
6. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि संबंधित कर्मचारी का वेतन नियमानुसार रिक्त पद से आहरित किया जायें।
7. प्रभारी अधिकारी, अराजपत्रित शाखा क्रं. 5, गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि उक्त निर्देशानुसार प्रमाण-पत्रों की जांच उपरांत ही अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराया जावे तथा उपस्थिति की एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराये।
8. प्रभारी अधिकारी, स्वशासी/गोपनीय शाखा, गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल।
9. संबंधित कर्मचारी श्री/कुमारी श्री अम्बान दीन बेगम की ओर पालनार्थ।
10. आदेश नस्ति/व्यक्तिगत नस्ति

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल

कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति भोपाल

क्रमांक/एम.सी./अराज/5/2025

भोपाल, दिनांक/07/2025

// आदेश //

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल द्वारा गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल एवं संबद्ध चिकित्सालय क्षेत्रिय श्वसन रोग संस्थान (RIRD) भोपाल के रिक्त पद - ओ.टी. टेक्नीशियन हेतु जारी सह चिकित्सकीय संवर्ग की प्राप्त अनुमोदित अनुसूची में स्वीकृत रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कार्यालय द्वारा कर्मचारी चयन मण्डल, (ईएसबी) भोपाल को भेजे गये मांग पत्र/प्रस्ताव तथा कर्मचारी चयन मण्डल (ईएसबी) की 'समूह-5 के अंतर्गत नर्सिंग स्टॉफ, पैरामेडीकल स्टॉफ व अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा-2024' के विज्ञापन के संदर्भ में अनुसूचित जनजाति (सहरिया, बैगा एवं भारिया) समुदाय के अभ्यर्थियों के कार्यालय में सीधे प्राप्त ऑफलाईन आवेदनों एवं कर्मचारी चयन मण्डल, (ईएसबी) भोपाल के पत्र क्रं./ MPESB / 02-12 / 2024 / 5 / प-1 / 457/2025 भोपाल दिनांक 20.01.2025 के परिप्रेक्ष्य में कार्यालय की गठित स्कूटनी समिति द्वारा उक्त रिक्त पदों में अनुसूचित जनजाति (सहरिया, बैगा एवं भारिया) समुदाय के योग्य आवेदकों के दस्तावेज सत्यापन एवं स्कूटनी हेतु दिनांक 10.03.2025 को आमंत्रित किया गया था।

उपरोक्तानुसार गठित स्कूटनी समिति की अंतिम रिपोर्ट के अनुक्रम में संस्था द्वारा जारी पात्र अभ्यर्थियों की चयन/प्रतिक्षारत सूची में दर्शित अनुसूचित जनजाति (सहरिया, बैगा एवं भारिया) श्रेणी के चयनित अभ्यर्थियों को गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी नियुक्ति प्रदान कर इनकी पदस्थापना क्षेत्रिय श्वसन रोग संस्थान (RIRD) भोपाल में की जाती है। नियुक्ति की सेवा शर्तों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रं.	अभ्यर्थी का नाम	चयनित पदनाम/श्रेणी	पता	वेतनमान
1	पूजा बैगा पुत्री श्री गुड्डु बैगा	ओ.टी. टेक्नीशियन (अनुसूचित जनजाति)	वार्ड नं. 08 ग्राम जुगवारी चक्की टोला पो. बंधवा बाडा तह. सोहागपुर जिला शहडोल	28700-91300 (मेट्रिक्स लेवल-7 इण्डेक्स-1)

नियुक्ति की शर्त:-

- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, यह मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय आदर्श सेवा नियम 2018 के तहत इस स्वशासी संस्था के सेवा शर्तों के अधीन होगी। संस्था नियुक्ति की सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी।
- उक्त नियुक्ति प्रथम 03 माह के लिए निश्चित पारिश्रमिक रुपये 10,000/- प्रतिमाह पर की जाती है।
- तीन माह पश्चात सह चिकित्सकीय संवर्ग के पदों की कार्य मूल्यांकन एवं कार्य संतोषजनक होने के पश्चात् मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक सी.3-13/2019 / 3 / एक भोपाल दिनांक 12-12-2019 के बिन्दु (अ) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम 1961 के नियम 8 (1) के तहत सीधी भर्ती के पद पर प्रथमतः तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।
- चयनित प्रत्याशी के रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र एवं डिप्लोमा की पुष्टि मध्यप्रदेश सह चिकित्सकीय परिषद् भोपाल/फार्मेशी काउंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा कराई जावेगी। यह नियुक्ति इस सशर्त पर प्रदान की जाती है, कि यदि चयनित कर्मचारी के संबंध में कोई त्रुटि/कमी पाई गई तो यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही समाप्त समझा जावेगा।
- सह चिकित्सकीय स्टाफ को न्यूनतम 03 वर्ष की सेवाएं देने हेतु कार्यभार ग्रहण के साथ सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र (500/-रुपये के स्टाम्प पर बॉण्ड) निष्पादित करना होगा। सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र में निहित शर्तों का पालन न करने पर उसे 01 वर्ष के वेतन/मानदेय के बराबर की राशि इस चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी संस्था, भोपाल (म.प्र.) में चुकानी होगी। यह देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया राशि की भांति वसूली योग्य होगी।
- चयनित प्रत्याशी को नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर (शासकीय कार्य दिवस में) कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव समाप्त हो जायेगा। कार्यभार ग्रहण हेतु किसी प्रकार के मार्ग व्यय/यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।

निरंतर.....पेज 2 पर

7. चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होकर स्वयं के व्यय पर स्वास्थ्य का परीक्षण कराना होगा एवं परीक्षण संबंधी उपयुक्तता प्रमाण-पत्र की प्रमाणित मूल प्रतिलिपि प्रस्तुत करने एवं उपयुक्त पाये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण मान्य किया जावेगा।
8. चिकित्सा महाविद्यालय के संविलियन एवं संवर्धन नियमों के अंतर्गत स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों में स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति की पात्रता शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के परिपालन में होगी।
9. चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करते समय उपस्थित प्रतिवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां एवं एक-एक छायाप्रतियां (स्वयं सत्यापित) परीक्षण हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. एफ-7-2/96 /आप्र/1 दि 1/08/96 के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश का स्थाई डिजिटल जाति प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में ही दिया जाना अनिवार्य है एवं मध्यप्रदेश का स्थाई डिजिटल जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण करवाया जायेगा।
11. चयनित प्रत्याशी को 90 दिवस की सेवा संतोषजनक पूर्ण करने उपरांत ही मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय आदर्श सेवा नियम 2018 के तहत अवकाश लेने की पात्रता होगी। नियुक्ति में पेंशन, उपादान एवं तत्संबंधी अन्य किसी प्रकार के लाभ देय नहीं होंगे।
12. चयनित प्रत्याशी की सेवाएं किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ता देकर समाप्त की जा सकेगी। चयनित प्रत्याशी द्वारा यदि परिवीक्षा अवधि में सेवा से त्याग पत्र दिया जाता है, तो नियुक्ति शर्त क्रं. 5 अनुसार बॉण्ड की राशि जमा करना अनिवार्य होगा तथा परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने के उपरांत यदि चयनित कर्मचारी त्याग पत्र देता है तो एक माह का वेतन जमा करना अथवा एक माह पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा। भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत एक माह का वेतन तथा भत्ते के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
13. चयनित प्रत्याशी म0प्र0सिविल सेवा आचरण नियमों के अधीन शासित होंगे। संस्था के किसी भी कर्मचारी को राजनीतिक अथवा किसी भी प्रतिबंधित गतिविधियों एवं हड़ताल आदि में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी एवं संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
14. चयनित कर्मचारी को 100/- रुपये के स्टाम्प में उपस्थित प्रतिवेदन के साथ इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी एवं दस्तावेज सही है, यदि गलत पाई जाती है तो पूर्ण जवाबदारी स्वयं की होगी।
15. पुलिस सत्यापन में अयोग्य पाये जाने पर बिना किसी सूचना के सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
16. नियुक्त व्यक्ति को उपस्थिति के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा स्वीकृत त्याग-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि लागू हो तो।
17. शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशानुसार सेवा शर्तें परिवर्तित की जा सकती हैं। यह परिवर्तन वेतन संबंधी शर्तों पर भी लागू हो सकता है।
18. भविष्य में यदि कभी भी पद की अर्हता संबंधी कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है तो सेवा समाप्त की जा सकेगी।
19. चयनित उम्मीदवारों को एक वर्ष के भीतर कम्प्यूटर में Window Basic एवं Microsoft Office का ज्ञान अर्जित करना अनिवार्य है एवं कम्प्यूटर पर कार्य करने की दक्षता दर्शानी होगी।
20. इस नियुक्ति में आरक्षण के प्रावधानों का समायोजन आरक्षण रोस्टर अनुमोदन के उपरांत रोस्टर अनुसार किया जावेगा।
21. चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति के प्रथम तीन माह में किसी भी प्रकार अवकाश की पात्रता नहीं होगी एवं आकस्मिक स्थिति के दौरान बिना पूर्व स्वीकृति एवं अनुमति के अवकाश पर नहीं जा सकेगा।
22. चयनित उम्मीदवार इस संस्था के अन्तर्गत कार्य करते हुए किसी अन्य संस्था में रोजगार के लिये सीधे आवेदन नहीं दे सकेगा।
23. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) तथा मध्यप्रदेश शासन के अन्य नियम लागू होंगे।
24. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-9/3/2005/नियम/चार दिनांक 2-4-2005 के अनुसार आप पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 लागू नहीं होंगे। मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/1/2005/नियम/चार दिनांक 2-4-2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियम भी लागू नहीं होंगे।

25. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 6 के उप नियम (6) जिसमें प्रावधान अनुसार 26 जनवरी 2001 के बाद दो बच्चों से अधिक होने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही समाप्त माना जावेगा।
26. नियुक्ति के संबंध में किसी भी प्रकार के वाद-विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम होकर मान्य होगा।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल

पृ. क्रमांक 28992-3100/एम.सी./अराज-5/2025
प्रतिलिपि -

भोपाल, दिनांक 23/07/2025

1. अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल।
2. संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल।
3. उप पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल संभाग, भोपाल।
4. मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, जयप्रकाश चिकित्सालय, भोपाल।
5. जिला कोषालय अधिकारी, जिला भोपाल।
6. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि संबंधित कर्मचारी का वेतन नियमानुसार रिक्त पद से आहरित किया जावे।
7. प्रभारी अधिकारी, अराजपत्रित शाखा क्रं. 5, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि उक्त निर्देशानुसार प्रमाण-पत्रों की जांच उपरांत ही अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराया जावे तथा उपस्थिति की एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराये।
8. प्रभारी अधिकारी, स्वशासी/गोपनीय शाखा, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल।
9. संबंधित कर्मचारी श्री/कुमारी पुनः नैना पति श्री सुहृद श्री की ओर पालनार्थ।
10. आदेश नस्ति/व्यक्तिगत नस्ति

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल